न्यायालय: – पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र. (आप.प्रक.कमांक :- 468 / 2017) (संस्थित दिनांक :- 14/09/2017)

> म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- एण्डोरी। जिला-भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

- महेश बाल्मीक पुत्र ग्यासी बाल्मीक, उम्र 56 वर्ष। 01.
- टिन्कल बाल्मीक पुत्र महेश बाल्मीक, उम्र 30 वर्ष। 02. निवासीगण :- ग्राम बाराहेट, थाना-एण्डोरी, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।अभुयक्तगण।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 10/01/2018 को घोषित)

अभियुक्तगण महेश एवं टिन्कल पर भा.द.सं. की धारा 294, 323 / 34, 324 / 34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 04/09/2017 की रात्रि लगभग 09:30 बजे फरियादी स्रेश बाल्मीक के घर के सामने स्थित ग्राम बाराहेट में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी सुरेश को मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी सुरेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने किसी धारदार आयुध, लाठी एवं लात-घूसों से फरियादी स्रेश की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी सुरेश को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है। 02.
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 04/09/2017 की रात्रि लगभग 09:30 बजे फरियादी सुरेश बाल्मीक के घर के सामने स्थित ग्राम बाराहेट में, आरोपीगण द्वारा फरियादी सुरेश से गाली-गलौच करने, उसकी लाठी एवं लात-ध ाूसों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी सुरेश द्वारा दिनांक : 05/09/2017 को थाना एण्डोरी में आरोपीगण महेश एवं टिन्कल के विरुद्ध अदम् चैक लेखबद्ध कर फरियादी/आहत सुरेश का मेडीकल परीक्षण कराया गया। फरियादी / आहत सुरेश के मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट में धारदार

आयुध से चोट पहुँचाये जाने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक 78/2017 अन्तर्गत धारा 504, 323, 324 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी टिन्कल से एक लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी सुरेश, साक्षीगण राजवीर एवं उदयवीर के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण महेश एवं टिन्कल के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 324/34, 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—
- 01. क्या आरोपीगण महेश एवं टिन्कल ने दिनांक :— 04/09/2017 की रात्रि लगभग 09:30 बजे फरियादी सुरेश बाल्मीक के घर के सामने स्थित ग्राम बाराहेट में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी सुरेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने किसी धारदार आयुध से फरियादी सुरेश की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी सुरेश अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण महेश एवं टिन्कल को जानता है, वह उसके सगे भाई एवं भतीजे है। साक्षी आगे कहती है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 06/12/2017 से लगभग तीन माह पूर्व की होकर रात्रि 09:30 बजे की है। उस समय उसका आरोपी टिन्कल से मुँहवाद हो गया था, जिस पर आरोपीगण ने उसकी लात—ह सुसों एवं लाठियों से मारपीट कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना में रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था एवं घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सुचक प्रश्न पुछे जाने पर भी फरियादी सरेश अ.सा.01 ने आरोपीगण महेश एवं टिन्कल

द्वारा दिनांक :— 04/09/2017 की रात्रि लगभग 09:30 बजे उसके घर के सामने स्थित ग्राम बाराहेट में, उसकी किसी धारदार आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहितयाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फिरयादी सुरेश अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई अदम् चैक रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- 07. आरोपीगण एवं फरियादी / आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी सुरेश अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण महेश एवं टिन्कल ने दिनांक :— 04/09/2017 की रात्रि लगभग 09:30 बजे फरियादी सुरेश बाल्मीक के घर के सामने स्थित ग्राम बाराहेट में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी सुरेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने किसी धारदार आयुध से फरियादी सुरेश की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।
- 09. अभियोजन आरोपीगण महेश एवं टिन्कल के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 11. प्रकरण में आरोपी टिन्कल से जब्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद